

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3240  
उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

वन धन विकास योजना का कार्यान्वयन

3240. श्री के. सुधाकरन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2025 तक वन धन विकास योजना के अंतर्गत स्थापित वन धन केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है और उसका उपयोग किया गया है; और

(ग) सरकारी आकलन के आधार पर उक्त योजना का जनजातीय आजीविका तथा आय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) वर्तमान में मंत्रालय, वन धन विकास योजना के नाम से कोई कार्यक्रम क्रियान्वित (लागू) नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) नामक योजनाओं को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है जिसके तहत आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं। आज तक, पीएमजेवीएम के तहत 3959 वीडवीके और पीएम-जनमन के तहत 506 वीडवीके स्वीकृत किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2023-24 के दौरान, 905 वीडवीके की स्थापना के लिए 8155.25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन वीडवीके ने आज तक लगभग 109 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

\*\*\*\*\*